ग्राम पंचायत सुनेड़, वि० ख० नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र० – 174101

के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सुनेड़, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रचना देवी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति हरविन्द्र कौर	01/04/2022 से 04/02/2023

2.	श्री महेश चन्द	05/02/2023 से 31/03/2023
3.	श्रीमति हरविन्द्र कौर	01/04/2023 से 03/01/2024
4.	श्री योग राज	04/01/2024 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत सुनेड़ के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	**6.34**
2	4.2	14वां वित्तायोग की रोकड़ बही में अनुचित/असमर्थित/फर्जी प्रविष्टियाँ पाया जाना	**5.60**
3	6.1	अनुदान राशि का अवरोधन करना	**7.17**
4	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**1.57**
5	8.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	**0.19**
6	8.2	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को अनियमित भुगतान करना	**3.93**
7	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.25**

8	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**9.82**
9	9.1	मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि का अनियमित भुगतान करना	**0.35**
10	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे	**0.10**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सुनेड़, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.02.2024 से 21.02.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	09/2022
2023-24	12/2023	06/2023

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 02/2025 दिनांक 01.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत व BBNDA:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1016976.51	3619023.19	4635999.70	3012618.50	1623381.20
2023-24	1623381.20	3069816.00	4693197.20	1672409.15	3020788.05

2. (क) अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	4122500.58	5115088.96	9237589.54	4622020.75	4615568.79

(INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)					
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	611582.50	1445659.56	2057242.06	1340719.56	**716522.50**

2 (ख) अनुदान

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2023-24 (14वां वित्तायोग)	13531.30	0.00	13531.30	0.00	**13531.30**
2023-24 (15वां वित्तायोग)	3990454.99	599110.00	4589564.99	1350208.65	**3239356.34**

कुल योग (1+2क व 2 ख) = 3020788.05+ 716522.50+13531.30+ 3239356.34+ 449 .00(नगद शेष)= **6990647.19**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹ 69,90,647.19** तथा बैंक खातों की राशि के अन्तशेष **₹ 63,56,973.49 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, स्वच्छ भारत मिशन SBM,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303036692	5.00
2	4 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 4TH SFC, 5 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 5TH SFC, 14 वा वित्तायोग 14TH FC, इंदिरा आवास योजना IAY, MPLADS, मुख्या मंत्री आदर्श ग्राम योजना MMAGY, RAYEAAY, VKVNY,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303047020	2900611.25
3	14 वा वित्तायोग 14TH FC,सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303124510	18736.60

4	5 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 5TH SFC, 14 वा वित्तायोग 14TH FC, MPLADS, सभा निधि / SF, SBM, 13TH FC, VKVNY,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000012	643801.00
5	14 वा वित्तायोग 14TH FC,सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100176286703	7683.30
6	15TH FC, सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100347861382	2786136.34
			जोड़ (क)	**6356973.49**
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				**6990647.19**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				**6356973.49**
			अंतर :-	**633673.70**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹6.34 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹ 6,33,673.70** की राशि का अन्तर पाया गया इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 14वां वित्तायोग की रोकड़ बही में राशि ₹5.60 लाख की अनुचित/असमर्थित/फर्जी प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान 14वां वित्तायोग कि रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड़ बही में राशि **₹5,60,456.19** की भुगतान प्रविष्टि दर्ज की गई थी जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिसके समर्थन में कोई बिल/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया है, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं।

अनुदान	रोकड़ बही वॉचर संख्या/ दिनांक	विवरण रोकड़ बही अनुसार	रोकड़ बही में व्यय में इन्द्राज की गई राशि (₹)
14th FC	FFC/2022-23/P/7 - 30.09.2022	Adjustment Vouchers	5,60,456.19
कुल राशि			**5,60,456.19**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि Online cashbook में गलती से यह इंद्राज की गई है, जिसे सही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा व वभिष्य में इस प्रकार की कोई Entry रोकड़ बही में नही की जायेगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर 5वां वित्तायोग, सभा निधि रोकड़ बही की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.3 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते

तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि खाता बही अपूर्ण है भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु

आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण वर्गीकृत सार तैयार नहीं किया गया है भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.5 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना व एक योजना के एक से अधिक खाते खोलना : -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये है व कुछ योजनाओं के लिए एक से अधिक खातों

का प्रयोग किया जा रहा है, जो की अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या
1	सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303036692
2	स्वच्छ भारत मिशन SBM		
3	4 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 4TH SFC	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303047020
4	5 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 5TH SFC		
5	14 वा वित्तायोग 14TH FC		
6	इंदिरा आवास योजना IAY		
7	मुख्या मंत्री आदर्श ग्राम योजना MMAGY		
8	मेंबर ऑफ़ पार्लेमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS		
9	राजीव आवास योजना एरस्टव्हील अटल आवास योजना RAYEAAY		
10	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)		
11	14 वा वित्तायोग 14TH FC,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303124510
12	सभा निधि / SF,		
13	5 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 5TH SFC	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000012
14	14 वा वित्तायोग 14TH FC		
15	मेंबर ऑफ़ पार्लेमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS		
16	सभा निधि / SF,		
17	स्वच्छ भारत मिशन SBM,		
18	13 वा वित्तायोग 13TH FC,		
19	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)		
20	14 वा वित्तायोग 14TH FC	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100176286703
21	सभा निधि / SF,		
22	सभा निधि / SF	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100347861382
23	15 वा वित्तायोग 15TH FC		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही

वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर व एक योजना केवल एक ही खाते का प्रयोग किया जाये व एक से अधिक खातों को बन्द करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के आय व्यय का लेखांकन सभा निधि रोकड़ बही में किया जा रहा है ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹7.17 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 03/2025 दिनांक 01.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 7,16,522.50** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के

कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अवगत

करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (**Update)** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹1.57 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2025/सुनेड़ दिनांक 01.02.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 43 दिनांक 10.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹50/- प्रति परिवार व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,57,030.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.19 लाख के व्यय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही

निम्न विवरण अनुसार **₹19,467.00** का व्यय किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ड़ "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/सुनेड़ दिनांक 19.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त वर्ष 2022 -23 व 2023-24 में कुल ₹19,467/- की राशि का भुगतान नगद रूप से किया गया है जो की इससे सम्बन्धित जानकारी के अभाव के कारण हुआ है, भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹3.93 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

अवधि 04/2022 से 03/2024 में रेत,बजरी व पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु खरीद की गई निर्माण सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-

डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "X"या "W" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सुनेड़ द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न विवरण अनुसार ₹**3,93,420.00** का अनियमित भुगतान किया गया। जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 12/2025/सुनेड़ दिनाँक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सुनेड़ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा क्रमांक संख्या NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा सबन्धि आपूर्तिकर्ता से उचितं फार्म को प्रस्तुत करने को कहा जायेगा व आगामी अंकेंक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायगा व वभिष्य में बिना ट्रांजिट पास के किसी भी खनन समग्री के बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि क्रय की गयी रेत व बजरी से संबधित फार्म w या x अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.25 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक

29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्यय चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹12,27,566.90** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹24,551.34** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक

21.02.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹9.82 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोरं का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹9,81,520.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट – "ज"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.35 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808

दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि **₹35,336.76** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/सुनेड़ दिनांक 20.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस सन्दर्भ में ग्राम रोजगार सेवक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने गलती के स्वीकार किया है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा । प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुनेड़ दिनांक 20.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.10 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के

अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹10,250.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न है को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2025/सुनेड़ दिनांक 18.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**प्रारूप**
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	वेतन जांच रजिस्टर	58	18
9.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
10.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
11.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
12.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
13.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
14.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 अनुसार

क्र०सं०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**प्रारूप**
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	35	06
4.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
5.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
6.	कर रजिस्टर	34	16
7.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 115(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/सुनेड़ दिनांक 18.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/सुनेड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 21.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

11.4.25

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति

2222 - 2226 11 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 68/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत सुनेड़, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11.4.25

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति

परिशिष्ट " क) ", पैरा संख्या " 4क96.1 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP SUNHED FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES, BBNDA

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1016976.51	3619023.19	4635999.70	3012618.50	1623381.20
2023-24	1623381.20	3069816.00	4693197.20	1672409.15	3020788.05

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	4122500.58	5115088.96	9237589.54	4622020.75	**4615568.79**
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	611582.50	1445659.56	2057242.06	1340719.56	**716522.50**

ONLINE AUDIT GRANTS-IN AID	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
14TH FC	**2023-24**	13531.30	0.00	13531.30	0.00	**13531.30**
15TH FC	**2023-24**	3990454.99	599110.00	4589564.99	1350208.65	**3239356.34**

सचिव
ग्राम पंचायत ...
...

परिशिष्ट "ख", पैरा संख्या "4कं96.1" के सन्दर्भ में

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SUNHED FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	4TH SFC	2022-23	74098.00	0.00	74098.00	0.00	74098.00
		2023-24	74098.00	0.00	74098.00	0.00	74098.00
2	5TH SFC	2022-23	0.00	380285.00	380285.00	218200.00	162085.00
		2023-24	162085.00	371040.00	533125.00	254100.00	279025.00
3	VKVNY	2022-23	260042.30	100000.00	360042.30	335195.59	24846.71
		2023-24	24846.71	0.00	24846.71	0.00	24846.71
4	SBM	2022-23	17.70	24000.00	24017.70	0.00	24017.70
		2023-24	24017.70	0.00	24017.70	12000.00	12017.70
5	MPLADS	2022-23	9921.56	0.00	9921.56	0.00	9921.56
		2023-24	9921.56	0.00	9921.56	0.00	9921.56
6	GRDY	2022-23	1958.00	0.00	1958.00	0.00	1958.00
		2023-24	1958.00	0.00	1958.00	0.00	1958.00
7	MMAGY	2022-23	38088.00	0.00	38088.00	0.00	38088.00
		2023-24	38088.00	0.00	38088.00	0.00	38088.00
8	RAYEAAY	2022-23	2587.00	0.00	2587.00	0.00	2587.00
		2023-24	2587.00	0.00	2587.00	0.00	2587.00
9	IAY	2022-23	45343.05	0.00	45343.05	0.00	45343.05
		2023-24	45343.05	0.00	45343.05	0.00	45343.05
10	13TH FC	2022-23	228637.48	0.00	228637.48	0.00	228637.48
		2023-24	228637.48	0.00	228637.48	0.00	228637.48
11	MNREGA	2022-23	0.00	1307125.96	1307125.96	1307125.96	0.00
		2023-24	0.00	1074619.56	1074619.56	1074619.56	0.00
12	14TH FC	2022-23	973421.49	638.00	974059.49	960528.19	13531.30
13	15TH FC	2022-23	2488386.00	3303040.00	5791426.00	1800971.01	3990454.99

ONLINE AUDIT 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2023-24	13531.30	0.00	13531.30	0.00	13531.30
2	15TH FC	2023-24	3990454.99	599110.00	4589564.99	1350208.65	3239356.34

धोमराज

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " ५ (ख) " के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत सुनेड़ , विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र०, पिन-174101

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत सुनेड़ के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, स्वच्छ भारत मिशन SBM,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303036692	5.00
2	4 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 4TH SFC, 5 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 5TH SFC, 14 वा वित्तायोग 14TH FC, इंदिरा आवास योजना IAY, MPLADS, मुख्या मंत्री आदर्श ग्राम योजना MMAGY, RAYEAAY, VKVNY,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303047020	2900611.25
3	14 वा वित्तायोग 14TH FC,सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100303124510	18736.60
4	5 वा स्टेट फाइनेंस कमीशन 5TH SFC, 14 वा वित्तायोग 14TH FC, MPLADS, सभा निधि / SF, SBM, 13TH FC, VKVNY,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000012	643801.00
5	14 वा वित्तायोग 14TH FC,सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, नालागढ़	50100176286703	7683.30
6	15TH FC, सभा निधि / SF,	HDFC बैंक लिमिटेड, किशनपुरा	50100347861382	2786136.34
			जोड़ (क)	6356973.49
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-			6990647.19
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			6356973.49
			अंतर :-	633673.70

सचिव
ग्राम पंचायत सुनेड़
वि० ख० नालागढ़, सोलन हि.प्र.

परिशिष्ट " घ ", पैरा संख्या " 7.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सुनेड़ क्षेत्र के पंजीकृत निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 695 से ₹ 50/- प्रति परिवार तथा 2023-24 में 815 परिवारों का ₹ 100/- प्रति परिवार, प्रति वर्ष की दर से लगाया गया है। यह डाटा ऑनलाइन परिवार रजिस्टर अनुसार है, व रजिस्टर असन्धारित है

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 59,280.00	695	₹ 50.00	₹ 34,750.00	₹ 94,030.00	₹ 2700.00	₹ 91,330.00
2023-24	₹ 91,330.00	815	₹ 100.00	₹ 81,500.00	₹ 1,72,830.00	₹ 15,800.00	₹ 1,57,030.00
	नोटः- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹1,57,030/-** है।						

लेखा परीक्षक

परिशिष्ट " ड. ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सुनेड़ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में स्वतः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 0.19 लाख के व्यय करने का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/1	07.04.2022	Stationary Bill	990
2	OWN/2022-23/P/5	26.05.2022	Sulini Mata Mela	1000
3	OWN/2022-23/P/10	09.08.2022	Office Expenses	988
4	OWN/2022-23/P/16	13.10.2022	Office Expenses	999
5	OWN/2022-23/P/17	13.10.2022	Office Expenses	500
6	OWN/2022-23/P/19	26.12.2022	Office Expenses	900
7	OWN/2022-23/P/26	27.01.2023	Donation Sair Mela commute Arki	1000
8	OWN/2022-23/P/27	01.02.2023	Office Expenses	1100
9	OWN/2022-23/P/33	28.03.2023	Office Expenses	880
10	OWN/2023-24/P/3	01.04.2023	Paid Office Expanse	200
11	OWN/2023-24/P/1	10/5/2023	Office Expenses	720
12	OWN/2023-24/P/4	08.06.2023	Office Expenses	250
13	OWN/2023-24/P/5	19.06.2023	Paid to Shoolini Mela	1000
14	OWN/2023-24/P/12	07.08.2023	Office Expenses	700
15	OWN/2023-24/P/13	07.08.2023	Office Expenses	700
16	OWN/2023-24/P/16	22.09.2023	Office Expenses	660
17	OWN/2023-24/P/18	10.11.2023	Office Expenses	740
18	OWN/2023-24/P/23	22.12.2023	Office Expenses	1370
19	OWN/2023-24/P/33	20.02.2024	Stationary Bill	710
20	OWN/2023-24/P/34	07.03.2024	Stationary Bill	300
21	OWN/2023-24/P/26	26.03.2024	Paid Bill Office Expenditure	3760
			कुल योग	19467

प्रेषक

सचिव
ग्राम पंचायत सुनेड़
वि० ख० अर्की, सोलन हि०

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत सुनेड़ द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के दौरान ₹ 03.93 लाख राशी के बिलों के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	शीर्ष	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	टाजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
1	OWN	OWN/2022-23/P/12 - 12.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	87 - 02.06.2022	Providing filling	2000	15	31500.00	उपलब्ध नहीं है
				88 - 02.06.2022	Providing filling	2000	15	29371.00	उपलब्ध नहीं है
					Agg. 20 mm	100	30		
					Gatka 40 mm	200	24		
				92 - 04.06.2022	Stone Dust	150	20	3150.00	उपलब्ध नहीं है
2	OWN	OWN/2022-23/P/13 - 12.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	40 - 02.11.2021	Washing Sand	300 CFT	27	49454.00	उपलब्ध नहीं है
					Agg. 20 mm	500 CFT	30		
					Stone Dust	600 CFT	20		
					Gatka 40 mm	500 CFT	24		
				84 - 01.06.2022	Agg. 20 mm	490 CFT	30	19011.00	उपलब्ध नहीं है
					Washing Sand	210 CFT	27		
					Stone Dust	275 CFT	20		
				85 - 01.06.2022	Gatka 40 mm	1100 cft	24	27720.00	उपलब्ध नहीं है
				86 - 01.06.2022	Gatka 40 mm	1100 CFT	24	27720.00	उपलब्ध नहीं है
3	15TH FC	XVFC/2022-23/P/57 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	107 - 01.08.2022	Washing Sand	100 CFT	27	5092.50	उपलब्ध नहीं है
					Agg. 20 mm	35 CFT	30		
4	15TH FC	XVFC/2022-23/P/60 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	110 - 04.08.2022	Stone Dust	116 CFT	20	14301.00	उपलब्ध नहीं है
					Washing Sand	50 CFT	27		
					Agg. 20 mm	40 CFT	30		
5	15TH FC	XVFC/2022-23/P/63 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	108 - 02.08.2022	Agg. 20 mm	140 CFT	30	7749.00	उपलब्ध नहीं है
					Wash Sand	90 CFT	27		
6	OWN	OWN/2023-24/P/6 - 20.06.2023	RADHEY KRISHANA BUILDERS	302 - 07.04.2023	Agg. 20mm	1400 Cft	30	44100.00	उपलब्ध नहीं है
				303 - 07.04.2023	Stone Dust	1600 CFT	20	33600.00	उपलब्ध नहीं है
				304 - 08.04.2023	Wash Sand	750 CFT	27	21262.50	उपलब्ध नहीं है
				305 - 08.04.2023	Gatka 40/60 mm	1800 CFT	24	45369.00	उपलब्ध नहीं है
				306 - 08.04.2023	Gatka 40/60 mm	1350 CFT	24	34020.00	उपलब्ध नहीं है
							कुल राशि	393420.00	

परिशिष्ट " ६ ", पैरा संख्या " 8.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सुनेड़ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 09/2022 के सभी अनुदानों व 06/2023 के दौरान 15 वाँ वित्तायोग के अतिरिक्त के वोउचरों में स्रोत पर आयकर की कटौती न करके के कारण ₹ 0.25 लाख की वसूली न करने की सूची

क्र०सं०	शीर्ष	काम का ब्योरा	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	व्यय राशी	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
1	OWN	नि० समसानघाट कस्बोवाल गुजरां	OWN/2022-23/P/12 - 12.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	87 - 02.06.2022	Providing filling	2000	15	31500	2%	630.00
					88 - 02.06.2022	Providing filling	2000	15	29371	2%	587.42
						Agg. 20 mm	100	30			
						Gatka 40 mm	200	24			
					92 - 04.06.2022	Stone Dust	150	20	3150	2%	63.00
					93 - 04.06.2022	Cement Carriage	150 Bag	25	4661	2%	93.22
					94 - 05.06.2022	Suttring Rent	12 Days	3540	3540	2%	70.80
					95 - 05.06.2022	Job work Shed labor	930 CFT	24	26337	2%	526.74
					98 - 04.06.2022	10 mm Steel	250 kg	65.5	38232	2%	764.64
						8 mm Steel	50 Kg	66.5			
						12 mm Steel	200 Kg	63.5			
2	OWN	नि० अधुरा कार्य नलका सड़क	OWN/2022-23/P/13 - 12.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	08 - 15.09.202	Interlock tiles 80mm	3000	14	49560	2%	991.20
					09 - 15.09.2022	Interlock tiles 80mm	3000	14	49560	2%	991.20
					10 - 15.09.2022	Interlock tiles 80mm	1500	14	24780	2%	495.60
					19 - 17.09.2021	16mm Steel	228.50 Kg	51.8	30964	2%	619.28
						12mm Steel	178.20Kg	51			
						10mm Steel	96.70 Kg	52.5			
						Bending wire	3 Kg	80			
				RADHEY KRISHANA BUILDERS	40 - 02.11.2021	Washing Sand	300 CFT	27	49454	2%	989.08
						Agg. 20 mm	500 CFT	30			
						Stone Dust	600 CFT	20			
						Gatka 40 mm	500 CFT	24			
					84 - 01.06.2022	Agg. 20 mm	490 CFT	30	19011	2%	380.22
						Washing Sand	210 CFT	27			
						Stone Dust	275 CFT	20			
					85 - 01.06.2022	Gatka 40 mm	1100 cft	24	27720	2%	554.40
					86 - 01.06.2022	Gatka 40 mm	1100 CFT	24	27720	2%	554.40
					96 - 05.06.2022	Suttring Rent	16 Days	955	18030.4	2%	360.61
					97 - 05.06.2022	Cement Carriage	155 Bag	20	5270	2%	105.40
3	15TH FC	नि० सीवरेज व पक्का रास्ता बनत राम के घर से जय राम के घर तक खरुनी	XVFC/2022-23/P/57 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	107 - 01.08.2022	Washing Sand	100 CFT	27	3546	2%	70.92
						Agg. 20 mm	35 CFT	30			
						Rent Cement	20	25			
						Display Board	1	600			

4	15TH FC	नि० निर्माण सीवरेज व पक्का रास्ता फुर्चैन के घर से मनी राम के गर तक हन्दखुन्दी	XVFC/2022-23/P/59 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	111 - 05.08.2022	Main Hole	6	900	6667	2%	133.34
						Cement Rent	10	25			
			XVFC/2022-23/P/60 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	110 - 04.08.2022	Stone Dust	116 CFT	20	13588	2%	271.76
						Washing Sand	50 CFT	27			
						Agg. 20 mm	40 CFT	30			
						Brick	1250	7			
5	15TH FC	नि० पक्का रास्ता गीत राम के घर से रमेश के घर तक वेलीखोल	XVFC/2022-23/P/62 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	109 - 03.08.2022	Main Hole Cover with frame	4	900	7316	2%	146.32
						Main Hole Cover without frame	2	1300			
6	15TH FC	नि० पक्का रास्ता गीत राम के घर से रमेश के घर तक वेलीखोल	XVFC/2022-23/P/63 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	108 - 02.08.2022	Agg. 20 mm	140 CFT	30	6735	2%	134.70
						Wash Sand	90 CFT	27			
						Cement Carriage Rent	30 Bag	25			
7	ONW	नि० सम्पर्क मार्ग न० एच० 105 से राम मन्दिर तक नजदीक राज साबुन फैक्ट्री	OWN/2023-24/P/6 - 20.06.2023	RADHEY KRISHANA BUILDERS	271 - 11.03.2023	Interlock Tile 80 mm	3000	14	49560	2%	991.20
					272 - 11.03.2023	Interlock Tile 80 mm	3000	14	49560	2%	991.20
					273 - 11-03.2023	Interlock Tile 80 mm	3000	14	49560	2%	991.20
					275 - 12.03.2023	Grave Filling	3000 CFT	15	47250	2%	945.00
					293 - 02.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560	2%	991.20
					292 - 02.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560	2%	991.20
					291 - 01.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560	2%	991.20
					290 - 01.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560	2%	991.20
					289 - 01.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560	2%	991.20
					294 - 03.04.2023	Interlock Tile 60 mm	1420	12	45642	2%	912.84
						Interlock Tile 60 mm	260	12			
						JCB WORK	18 Hrs	1000			
					297 - 04.04.2023	Mixture Machine	7 Days	900	30562	2%	611.24
						Water Tank	9 Days	1200			
						RCC Pipe 12"	2	1400			
						Road Roller	2 Days	3000			
					298 - 04.04.2023	Cement carriege Rent	102 Bag	25	3009	2%	60.18
					288 - 01.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560	2%	991.20
					302 - 07.04.2023	Agg. 20mm	1400 Cft	30	44100	2%	882.00
					303 - 07.04.2023	Stone Dust	1600 CFT	20	33600	2%	672.00
					304 - 08.04.2023	Wash Sand	750 CFT	27	21262.5	2%	425.25
					305 - 08.04.2023	Gatka 40/60 mm	1800 CFT	24	45369	2%	907.38
					306 - 08.04.2023	Gatka 40/60 mm	1350 CFT	24	34020	2%	680.40
								कुल राशि	**1227566.90**		**24551.34**

योगराज

परिशिष्ट " 5 ", पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सुनेड़ द्वारा माह 09/2022 सभी अनुदानों में व 06/2023 के दोरान 15 वाँ आयोग के अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक ₹ 9.82 लाख की की सूची

क्र०सं०	शीर्ष	काम का ब्योरा	वा0 सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	OWN	नि० समसानघाट कस्बोवाल गुजरां	OWN/2022-23/P/12 - 12.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	87 - 02.06.2022	Providing filling	2000	15	31500	192823.00	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना, व केवल दो GST धारक अपुरिकर्ताओं की निविदायें होने के पर भी, दौवारा निविदाये आमत्रित ना करना
					88 - 02.06.2022	Providing filling	2000	15	29371		--"--
						Agg. 20 mm	100	30			
						Gatka 40 mm	200	24			
					92 - 04.06.2022	Stone Dust	150	20	3150		--"--
					93 - 04.06.2022	Cement Carriage	150 Bag	25	4661		--"--
					94 - 05.06.2022	Suttring Rent	12 Days	3540	3540		निविदायें प्रस्तुत ना करना
					95 - 05.06.2022	Job work Shed labor wit	930 CFT	24	26337		--"--
					98 - 04.06.2022	10 mm Steel	250 kg	65.5	38232		--"--
						8 mm Steel	50 Kg	66.5			
						12 mm Steel	200 Kg	63.5			
2	OWN	नि० अधुरा कार्य नलका सड़क	OWN/2022-23/P/13 - 12.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	08 - 15.09.202	Interlock tiles 80mm	3000	14	49560		निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना, व केवल दो GST धारक अपुरिकर्ताओं की निविदायें होने के पर भी, दौवारा निविदाये आमत्रित ना करना
					09 - 15.09.2022	Interlock tiles 80mm	3000	14	49560		
					10 - 15.09.2022	Interlock tiles 80mm	1500	14	24780		
					19 - 17.09.2021	16mm Steel	228.50 Kg	51.8	30964		निविदायें प्रस्तुत ना करना
						12mm Steel	178.20Kg	51			
						10mm Steel	96.70 Kg	52.5			
						Bending wire	3 Kg	80			
				RADHEY KRISHANA BUILDERS	40 - 02.11.2021	Washing Sand	300 CFT	27	49454		निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना, व केवल दो GST धारक अपुरिकर्ताओं की निविदायें होने के पर भी, दौवारा निविदाये आमत्रित ना करना
						Agg. 20 mm	500 CFT	30			
						Stone Dust	600 CFT	20			
						Gatka 40 mm	500 CFT	24			
					84 - 01.06.2022	Agg. 20 mm	490 CFT	30	19011		--"--
						Washing Sand	210 CFT	27			
						Stone Dust	275 CFT	20			
					85 - 01.06.2022	Gatka 40 mm	1100 cft	24	27720		
					86 - 01.06.2022	Gatka 40 mm	1100 CFT	24	27720		
					96 - 05.06.2022	Suttring Rent	16 Days	955	18030.4		निविदायें प्रस्तुत ना करना
					97 - 05.06.2022	Cement Carriage	155 Bag	20	5270		निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना, व केवल दो GST धारक अपुरिकर्ताओं की निविदायें होने के पर भी, दौवारा निविदाये आमत्रित ना करना
3	15TH FC	नि० सीवरेज व पक्का रास्ता बनत राम के घर से जय राम के घर तक खरुनी	XVFC/2022-23/P/57 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	107 - 01.08.2022	Washing Sand	100 CFT	27	5092.5	3546.00	--"--
						Agg. 20 mm	35 CFT	30			
						Rent Cement	20	25			
						Display Board	1	600			

योजना

4	15TH FC	नि० निर्माण सीवरेज व पक्का रास्ता फुर्चेन के घर से मनी राम के गर तक हन्दखुन्दी	XVFC/2022-23/P/59 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	111 - 05.08.2022	Main Hole	6	900	6667	6667.00	निविदायें प्रस्तुत ना करना
						Cement Rent	10	25			निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना, व केवल दो GST धारक अपुरिकर्ताओं की निविदायें होने के पर भी, दौवारा निविदाये आमत्रित ना करना
			XVFC/2022-23/P/60 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	110 - 04.08.2022	Stone Dust	116 CFT	20	14301	13588.00	--"--
						Washing Sand	50 CFT	27			
						Agg. 20 mm	40 CFT	30			
						Brick	1250	7			
5	15TH FC	नि० पक्का रास्ता गीत राम के घर से रमेश के घर तक वेलीखोल	XVFC/2022-23/P/62 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	109 - 03.08.2022	Main Hole Cover with frame	4	900	7316	7316.00	निविदायें प्रस्तुत ना करना
						Main Hole Cover without frame	2	1300			
6	15TH FC	नि० पक्का रास्ता गीत राम के घर से रमेश के घर तक वेलीखोल	XVFC/2022-23/P/63 - 04.09.2022	RADHEY KRISHANA BUILDERS	108 - 02.08.2022	Agg. 20 mm	140 CFT	30	7749	6735.00	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना, व केवल दो GST धारक अपुरिकर्ताओं की निविदायें होने के पर भी, दौवारा निविदाये आमत्रित ना करना
						Wash Sand	90 CFT	27			
						Cement Carriage Rent	30 Bag	25			
7	ONW	नि० सम्पर्क मार्ग न० एच० 105 से राम मन्दिर तक नजदीक राज साबुन फैक्ट्री	OWN/2023-24/P/6 - 20.06.2023	RADHEY KRISHANA BUILDERS	271 - 11.03.2023	Interlock Tile 80 mm	3000	14	49560	750845.00	--"--
					272 - 11.03.2023	Interlock Tile 80 mm	3000	14	49560		
					273 - 11-03.2023	Interlock Tile 80 mm	3000	14	49560		
					275 - 12.03.2023	Grave Filling	3000 CFT	15	47250		
					293 - 02.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560		
					292 - 02.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560		
					291 - 01.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560		
					290 - 01.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560		
					289 - 01.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560		
					294 - 03.04.2023	Interlock Tile 60 mm	1420	12	45642		
						Interlock Tile 60 mm	260	12			
						JCB WORK	18 Hrs	1000			
					297 - 04.04.2023	Mixture Machine	7 Days	900	30562		निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना, व केवल दो GST धारक अपुरिकर्ताओं की निविदायें होने के पर भी, दौवारा निविदाये आमत्रित ना करना
						Water Tank	9 Days	1200			
						RCC Pipe 12"	2	1400			
						Road Roller	2 Days	3000			निविदायें प्रस्तुत ना करना
					298 - 04.04.2023	Cement carriage Rent	102 Bag	25	3009		निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना, व केवल दो GST धारक अपुरिकर्ताओं की निविदायें होने के पर भी, दौवारा निविदाये आमत्रित ना करना
					288 - 01.04.2023	Interlock Tile 60 mm	3500	12	49560		
					302 - 07.04.2023	Agg. 20mm	1400 Cft	30	44100		
					303 - 07.04.2023	Stone Dust	1600 CFT	20	33600		
					304 - 08.04.2023	Wash Sand	750 CFT	27	21262.5		
					305 - 08.04.2023	Gatka 40/60 mm	1800 CFT	24	45369		
					306 - 08.04.2023	Gatka 40/60 mm	1350 CFT	24	34020		
									कुल राशि	981520.00	

Mr चौगानक

-40-

परिशिष्ट " 51 ", पैरा संख्या " 9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सुनेड़ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹0.35 लाख के अनियमित भुगतान का पाया जाना

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount
1	Nirman khurli Dharam Pal S/O Sh.Babu Ram village Handakhundi. (1311004175/IF/32130255)	IF	RADHEY KRISHNA BUILDERS	74	04/04/2022	28/04/2022	11760.00
2	Nirman cattle shed Chhittar S/O Sh.Lakshman village Handakhundi. (1311004175/IF/32201819)	IF	RADHEY KRISHNA BUILDERS	28	04/11/2021	25/05/2022	11088.00
3	Nirman Suraksha Diwar Balvinder Singh S/O Jeet Ram. (1311004175/IF/32313282)	IF	RADHEY KRISHNA BUILDERS	314	09/06/2023	29/02/2024	4110.76
				315	09/06/2023	29/02/2024	4130.00
				316	09/06/2023	29/02/2024	4248.00
						TOTAL	35336.76

-41-

परिशिष्ट "-21", पैरा संख्या "10.1" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सुनेड़ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह शुल्क के रूप में वसूली गई राशि की सूचि

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली योग्य शेष राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या
1	मनीषा	18.05.2022	25.05.2022	200	200	0	248581	25.05.2022	88
2	दुष्यंत कुमार	18.05.2022	25.05.2022	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
3	सुरजीत कौर	10.05.2022	26.05.2022	200	200	0	248582	26.05.2022	89
4	धर्मपाल	01.06.2022	15.06 .2022	200	200	0	248583	15.06.2022	89
5	रामजी	10. 05.2022	15.06 .2022	400	0	400	उपलब्ध नहीं है		
6	लच्छी राम	21.05.2022	01.08.2022	400	200	200	248593	01.08.2022	93
7	शिवानी	10.08.2022	17.08.2022	200	200	0	248596	17.08.2022	3
8	आशा देवी	01.09.2022	16.09.2022	200	200	0	248702	16.09.2022	6
9	प्रियंका	27.09.2022	15.10.2022	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
10	परम वीर	28.11.2022	09.12.2022	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
11	जगतार सिंह	04.12.2022	15.12.2022	200	200	0	248711	15.12.2022	11
12	बबलू	09.12.2022	22.12.2022	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
13	शिव चरण दास	09.12.2022	26.12.2022	200	200	0	248715	26.12.2022	11
14	सतनाम सिंह	09.12.2022	02.01.2023	400	400	0	248723	03.01.2023	14
15	हर्ष कुमार	28.11.2022	17.01.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है		
16	वीरेंद्र सिंह	02.12.2022	18.01.2023	400	400	0	248728	18.01.2023	16
17	वीरेंद्र कुमार	10.02.2023	27.02.2023	200	200	0	248739	27.02.2023	20
18	अरुण कुमार	31.01.2023	27.02.2023	200	200	0	248740	27.02.2023	20
19	मंजु	07.02.2023	27.02.2023	200	200	0	248741	27.02.2023	20
20	कमल कुमार	22.02.2023	06.03.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
21	जसवीर सिंह	02.12.2022	02.03.2023	400	200	200	248742	02.03.2023	21
22	वीर सिंह	22.02.2023	06.03.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
23	सिकन्दर	22.02.2023	06.03.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
24	संदीप	07.02.2023	06.03.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
25	अमनदीप सिंह	26.03.2023	29.03.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है		
26	सुरेन्द्र सिंह	27.02.2023	29.03.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है		
27	गोगी	26.02.2023	29.03.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है		
28	प्रदीप सिंह	09.03.2023	23.05.2023	400	400	0	248774	23.05.2023	29
29	विक्रांत शर्मा	22.03.2023	07.06.2023	400	400	0	248792	07.06.2023	33
30	नरेंद्र	19.11.2023	04.12.2023	200	200	0	248831	04.12.2023	47
31	राम प्रताप	23.11.2023	19.12.2023	200	200	0	248837	20.12.2023	48
32	राम सिंह	29.11.2023	07.02.2024	400	400	0	248847	07.02.2024	52
33	मनवीर सिंह	19.11.2023	09.02.2024	400	400	0	248848	09.02.2024	52
34	जगतार सिंह	04.02.2024	25.02.2024	200	200	0	248864	25.02.2024	54
35	बलवंत सिंह	31.01.2024	29.02.2024	200	200	0	248866	29.02.2024	54
36	नंद लाल (BPL)	04.02.2024	14.03.2024	50	50	0	248869	14.03.2024	55
37	नीरज चंदेल	04.03.2024	18.03.2024	200	200	0	248871	26.03.2024	56
38	विक्रम सिंह	17.02.2024	18.03.2024	200	200	0	248873	26.03.2024	56
39	संग्राम सिंह	19.02.2024	20.03.2024	200	200	0	248874	26.03.2024	56
40	प्रदीप कुमार	04.03.2024	30.03.2024	200	200	0	248877	30.03.2024	56
	कुल राशि			10250	6450	3800			

योग राशि